



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 415/13

निर्णय दिनांक: 13.05.2019

1. मनफूल पुत्र लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 18-04-2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 18-04-2006 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि सुओ मोटो रिव्यू कर खारिज की गई, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन का पात्र घोषित किया गया तथा सलाहकार समिति की राय से चक 3 एसएम के मुरब्बा नम्बर 220/2 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि पर अपीलांट को कब्जा भी प्रदान कर दिया गया तथा आवंटन पश्चात् तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवा दिये गये

तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का दर्ज हो गया। तत्पश्चात् अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट को आवंटित भूमि को सुओ मोटो रिव्यू करते हुए खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 3 एसएम के मुरब्बा नम्बर 220/2 के किला नम्बर 1 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट में प्रकाशित होने के कारण अपीलांट का आवंटन बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये खारिज कर दिया गया। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त कर दिया परन्तु उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-04-2006 के विरुद्ध अपील दिनांक 18-10-13 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट में आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-04-2006 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 18-019-2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में अपीलांट ग्रामीण पृष्ठ भूमि व अन्य तहसील का निवासी होने के कारण आवंटन अधिकारी स्तर से किये गये निर्णय की जानकारी का समुचित तन्त्र विकसित नहीं होने के कारण आवेदक/अपीलांट को निर्णय की जानकारी देरी से होने का समुचित कारण है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।
7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 23-03-2002 आवंटन का पात्र घोषित करते हुए चक 3 एसएम के मुरब्बा नम्बर 220/2 की 25 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया

गया। अपीलांट द्वारा आवंटन राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई। उक्त कार्यवाही के चार वर्ष उपरान्त दिनांक 03-04-2006 को प्रकरण सुओमोटो रिव्यू हेतु दर्ज किया गया। इस संबंध में आवंटी को जारी नोटिस तामील नहीं होने के उपरान्त भी दिनांक 18-04-2006 को आवेदित मुरब्बे की भूमि मोहरबन्द की सूची में शामिल करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में आवेदक को उसकी पात्रता के अनुसार वैकल्पिक भूमि आवंटन करवाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा की गई उक्त कार्यवाही एकतरफा, मनमानी तथा आवेदक की पीठ पीछे की गई है।

आवंटन का रिकार्ड अपडेट रखने का दायित्व उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों का है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता का नतीजा आवंटी भुगत रहे है। अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांट/आवंटी को कोई लाभ नहीं मिला है तो ऐसे आवंटन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-04-2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवेदक द्वारा अन्यत्र स्थान पर भूमि आवंटित नहीं करवाने की तथा आज दिनांक तक पात्रता कायम रहने के तथ्यों की जाँच की जाकर पात्र पाये जाने पर आवंटन नियम 1975 के नियम 7 में निर्धारित प्राथमिकताओं में शामिल करें तथा नियम 10 व 11 के तहत नये सिरे से आवेदन प्राप्त करते हुए प्राथमिकता सूची में शामिल करें तथा प्रारूप IV में संधारित रजिस्टर में दर्ज करें व आवंटन नियम 10 (1) में उल्लेखित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन पत्र का विधि सम्मत निस्तारण करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(रामनिवास जाट)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर